-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2021 में थाना गिरवां क्षेत्र में टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले जाकर 07 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2021 में थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में टॉफी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर ले जाकर 07 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 15.01.2021 को को थाना गिरवां क्षेत्र अन्तर्गत सखन का पुरवा अंश मुरवा के रहने वाले अभियुक्त कल्लू राजपूत ने थाना गिरवां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 07 वर्षीय बच्ची को टॉफी दिलाने का बहाना करके बहला फुसला कर ले गया और गांव के बाहर पुलिया के पास बच्ची के साथ दुष्कर्म किया । इस सम्बन्ध में बच्ची के पिता की तहरीर पर थाना गिरवां पर अभियोग **मु0अ0सं0 13/2021 धारा 376(घ)(ख)/323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन **प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 14.03.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय ASJ/FTC-I बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **कल्लू राजपूत पुत्र रामरतन नि0 सखन का पुरवा थाना गिरवां जनपद बांदा।**